न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार, आर0 जे0 एस0

निर्णय दिनांक – 28 मार्च, 2026

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या– 61/2019

सीआईएस नंबर – 61/2019

सीएनआर नंबर – RJJH070017402018

राज0 राज्य बनाम चुन्नीलाल

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –159/2018, पुलिस थाना खेतड़ी नगर अपराध अन्तर्गत धारा–465, 420 भादस व 3/25 आयुध अधिनियम

भाग–प्रथम

।

परिवादी	किरण सिंह पुत्र मामचंद यादव निवासी थानाधिकारी थाना खेतड़ीनगर जिला झुंझुनू राज.
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार
अभियुक्त का नाम व पता	चुन्नीलाल पुत्र दाताराम उम्र 19 साल निवासी दूधवा थाना खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री महीपाल दौराता

ठ

अपराध की दिनांक	25.09.2018
एफआईआर की दिनांक	25.09.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	24.12.2028
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	22.01.2019

साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	13.03.2019
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	28.03.2026
निर्णय दिनांक	28.03.2026
दण्डादेश दिनांक	28.03.2026

ड

अभियुक्त का विवरण

क्रम संख्या I	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	चुन्नीलाल	–	–	**465 भारतीय दण्ड संहिता** **3/25 आर्म्स एक्ट**	**दोषमुक्त** **दोषसिद्ध**	–	–

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0डब्ल्यू 01	अमरसिंह	जाप्ता सदस्य
पी0डब्ल्यू 02	राकेश कुमार	जाप्ता सदस्य
पी0डब्ल्यू 03	चोखाराम	पुलिस गवाह व रवानगी व वापसी रोजनामचा
पी0डब्ल्यू 04	सुरेन्द्र	मोटरसाईकिल मालिक

पी0डब्ल्यू 05	विकास	प्रत्यक्षदर्शी गवाह
पी0डब्ल्यू 06	राजेश कुमार	अभियोजन स्वीकृति गवाह
पी0डब्ल्यू 07	महेंद्र सिंह	मालखाना गवाह
पी0डब्ल्यू 08	सरदार सिंह	आरमोर्र गवाह व मुआयना रिपोर्ट, सिलबंद पैकेज
पी0डब्ल्यू 09	किरण सिंह	जाप्ता सदस्य
पी0डब्ल्यू 10	सूबेसिंह	पुलिस गवाह व अनुसंधानकर्ता

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–	–	–

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श
अ–अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
01.	प्रदर्श पी–01	फर्द जब्ती अवैध जिंदा कारतूस
02.	प्रदर्श पी–02	फर्द जब्ती बाईक
03.	प्रदर्श पी–03	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम चुन्नीलाल
04.	प्रदर्श पी–04	घटनास्थल का नक्शा मौका
05.	प्रदर्श पी–05	फर्द जब्ती नंबर प्लेट बाईक
06.	प्रदर्श पी–06	पुलिस रिपोर्ट

07.	प्रदर्श पी–07	तहरीर
08.	प्रदर्श पी–08 व 09	रवानगी व वापसी रोजनामचा की प्रति
10.	प्रदर्श पी–10	धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस
11.	प्रदर्श पी–11	बेचाननामा का शपथ पत्र
12.	प्रदर्श पी–12	असल मालखाना
13.	प्रदर्श पी–12 ए	मालखाना की प्रति
14.	प्रदर्श पी–13	चाक एफआईआर
15.	प्रदर्श पी–14	रोजनामचा की प्रमाणित प्रति
16.	प्रदर्श पी–16	वाहन स्वामी विक्रम को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस

ब–बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

स–न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्रम संख्या	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	

–:: <u>निर्णय</u> ::– दिनांक 28 मार्च, 2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी किरण सिंह पुत्र मामचंद यादव निवासी थानाधिकारी थाना खेतड़ीनगर जिला झुंझुनू राज. ने एक एफआईआर दिनांक 25.09.2018 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी में इस आशय की पेश की कि मन थानाधिकारी किरणसिंह उप निरीक्षक मय जाब्ता श्री अमरसिंह कानि0 561, राकेश कुमार कानि0 299 मय वाहन सरकारी चालक यशपाल कानि0 1075 मय जब्तशुदा दो जिंदा कारतूस, मय जब्तशुदा

मोटरसाईकिल नम्बर HR 35E 7327 मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम चुनीलाल अन्तर्गत जुर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 465 भादस के बहवाले रपट सं. 23 का रवानाशुदा हाजिर थाना आया। दर्ज रहे कि थाना से मय जाब्ता के प्रकरण संख्या 158/18 धारा 382 भादस में अनुसंधान व नक्शा मौका कार्यवाही हेतु रवाना होकर घटनास्थल दीनबंधू मैरिज हाल कस्बा खेतडीनगर पहुँचकर नक्शा खेतडीनगर पहुचकर नक्शा मौका कार्यवाही व अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान कार्यवाही के मुलजिमान तलाश हेतु रवाना होकर तलाश कस्बा सुभाष मार्केट, मानोता कलां करता हुआ समय 3.00 पीएम पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विधालय मानोता कलां के पास पहुचकर नाकाबंदी आरम्भ की गई। दौराने नाकाबंदी समय 3.15 पीएम पर मानोता कला की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाईकिल बरंग काला पर सवार होकर तेज गति से आता दिखाई दिया। जिसको मन थानाधिकारी व जाब्ता ने हाथ का ईशारा देकर रूकवाना चाहा तो उक्त शख्स मोटरसाईकिल को वापस मोड़कर भागने का प्रयत्न करने लगा। जिसको मन थानाधिकारी व हमराही जाब्ता ने घेराबंदी कर रूकवाया। मन थानाधिकारी द्वारा शख्स को नाम पता पूछा गया तो शख्स ने घबराई आवाज में अपना नाम चुन्नीलाल बताया। शख्स चुन्नीलाल को मोटरसाईकिल वापस मोड़कर भागने का प्रयत्न करने बाबत पूछताछ की तो कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया। शख्स चुन्नीलाल की तलाशी ली गई तो पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में दो जिंदा कारतूस मिले। जिंदा कारतूसों का अवलोकन किया गया तो दोनों जिंदा कारतूस पीले रंग के है, जिन के उपरी सिरे पर बुलेट लगी हुई है। कारतूसों के पेंदे पर K.F. 32S&W.L लिखा हुआ है। शख्स चुन्नीलाल से अपने कब्जे में जिंदा कारतूस रखने बाबत लाईसेंस बाबत पूछा गया तो किसी प्रकार का लाईसेंस/अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। कानि ने उपस्थित होकर आस पास कोई आबादी नहीं होना बताकर स्वतंत्र गवाह उपस्थित नहीं होना बताया। मौके पर जरिए फर्द जब्ती जब्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर शिल्डमोहर कर मार्क ए अंकित किया गया। मुलजिम चुन्नीलाल द्वारा प्रयुक्त वाहन का निरीक्षण किया गया तो मोटरसाईकिल YAMAHA कंपनी की है। मोटरसाईकिल का रंग काला है। मोटरसाईकिल के पीछे लगी हुइ नंबर प्लेट पर नंबर

HR35E7927 लिखे हुए हैं तथा आगे के मडगार्ड पर नंबर HR35E7924 लिखे हुए हैं तथा मोटरसाईकिल के इंजन नंबर 45S1022219 व चेचिस नंबर ME14S01492022944 है। मोटरसाईकिल पर लगी पीछे की नंबर प्लेट व आगे मडगार्ड पर लिखे हुए नंबरों में भिन्नता है इत्यादि।

02. जिस पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना खेतडी नगर में एफ आई आर नंबर 159/2018 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्त चुन्नीलाल के विरूद्ध धारा 465, 420 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप प्रमाणित मानने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतडी में अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. न्यायालय में दिनांक 24.12.2018 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त चुन्नीलाल को धारा 465 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने जुर्म से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये **मौखिक साक्ष्य** में पृष्ठ संख्या 03 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या 04 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

05. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता में परीक्षित किया गया। जिस पर उन्होंने स्वयं के विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत बताया व स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाये जाने का कथन किया व स्वयं से कोई बरामदगी नहीं होना कथित किया। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

07. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त गवाहो द्वारा घटना की

ताईद की गई है एवं अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावें।

08. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियोजन स्वीकृति मान्य नहीं है। कलेक्टर को परीक्षित नही करवाया गया है। अभियोजन स्वीकृति पर माइंड अप्लाई नहीं किया। मोटरसाईकिल की नंबर प्लेट जप्त नहीं की, ना ही प्रदर्शित करवाई है। कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त को झूठा फंसाया है अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

09. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.09.2018 को समय 3.15 पीएम के करीब ग्राम सुभाष मार्केट मानोता कलां कस्बा खेतड़ी नगर मे मोटरसाईकिल जो जब्त की गई, की नंबर प्लेट को रद्द करके विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बेईमानी से एवं कपटपूर्वक परिवर्तन किया व दौराने नाकाबंदी आपके चैतन्यशील कब्जे से दो जिंदा कारतूस बरामद किये जिसे रखने का आपके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था?

(2) यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

10. उपरोक्त अवधार्य बिन्दुओ के बाबत परिवादी पक्ष द्वारा कुल 10 गवाहो को परीक्षित करवाया गया है। जिसमें से गवाह पी0डब्ल्यू 1 अमरसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 25.09.18 को मैं पुलिस थाना खेतडी नगर पर सिपाही के पद पर तैनात था। उस रोज समय 02.15 पी एम पर थानाधिकारी किरण सिंह, मैं, राकेश कुमार व चालक यशपाल मय सरकारी जीप के मुकदमा नंबर 158/18 में अनुसंधान की कार्यवाही हेतु रवाना होकर दीनबंधू मैरिज हॉल के पास पहुंचे। बाद अनुसंधान मुलजिमान की तलाश हेतु रवाना होकर समय 3 पी एम पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय माणोता कला के पास पहुंचकर नाकाबंदी आरंभ की। तब एक व्यक्ति बाईक पर

सवार होकर तेज गति से आता दिखाई दिया। जिसको थानेदार साहब व हमने हाथ का इशारा देकर रूकवाना चाहा तो वह व्यक्ति बाईक को वापस मोडकर भागने की कोशिश करने लगा। जिसको हमने घेराबंदी कर रूकवाया। थानेदार ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चुन्नीलाल बताया। उसकी तलाशी ली गई तो काले रंग की पेंट की दाहिने जेब में दो जिंदा कारतूस मिले। जो पीले रंग के थे, जिंदा कारतूस रखने हेतु लाइसेंस बाबत पूछा तो अपने पास कोई लाइसेंस होना नहीं बताया। स्वतंत्र गवाह लाने हेतु थानेदार ने मुझे भेजा था। लेकिन कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मुझे व राकेश कुमार को गवाह बनाया गया। मौके पर ही जिंदा कारतूसों को शील्ड मोहर कर सफेद कपडे की थैली में डालकर मार्क ए अंकित किया गया। बाईक का भी निरीक्षण किया गया। बाईक के आगे नंबर प्लेट नहीं थी। बाईक पर लगी पीछे की नंबर प्लेट व आगे मडगार्ड पर लिखे नंबरों में भिन्नता पाई गई। बाईक को भी मौके पर ही जब्त किया गया एवं मुलजिम को भी मौके पर ही गिरफतार किया गया। फर्द जब्ती अवैध जिंदा कारतूस प्रदर्श पी01 है। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। फर्द जब्ती बाईक प्रदर्श पी02 है। जिस पर भी ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफतारी मुलजिम चुन्नीलाल प्रदर्श पी03 है। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। सूबेसिंह ए एस आई ने मेरे व राकेश के सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी04 बनाया था। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। फर्द जब्ती नंबर प्लेट बाईक प्रदर्श पी05 है। जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं।

दौराने जिरह गवाह ने अभियुक्त में कथन किया है कि जहां पर नक्शा मौका बनाया वहां पर खेत ही है कोई आबादी क्षेत्र नहीं है। यह कहना सही है कि वहां पर हमारे सामने कोई स्वतंत्र गवाह नहीं आया। आई ओ साहब ने किससे पूछ कर खेत के मालिक के बारे में लिखा मुझे नहीं पता। यह कहना सही है कि नक्शा मौका बनाते समय किसी स्वतंत्र गवाह को नहीं बुलाया। जहां से हमने हथियार बरामद किया वह खुला स्थान है। वहां पर कोई भी आ जा सकता है। बरामद किये गये कारतूसों पर क्या मार्का था यह मैंने नहीं देखा। कारतूस की लंबाई भी मुझे आज नहीं याद। कारतूस जिंदा हालत में थे। मैंने

उन कारतूसों को प्रयोग में लेकर नहीं देखा। कारतूस को देखकर ही पता चल जाता है कि कारतूस जिंदा है या अवधि बाहर है। एक कारतूस के चलने की अवधि कितनी होती है यह मैं नही बता सकता। यह कहना सही है कि मैं नहीं बता सकता कि हमने जो कारतूस जब्त किये वो कितने पुराने थे। मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं कि जब्त किये गये कारतूस जिंदा हालत में थे। यह कहना सही है कि जिंदा कारतूस घटनास्थल पर बरामद किये थे। अज खुद कहा कि अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसकी पेंट में से मिले थे। पेंट काले रंग की जींस की पेंट थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी01 में नहीं लिखा हुआ कि काले रंग की जींस की पेंट थी। लेकिन कोई स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नही हुआ। प्रदर्श पी01 पर जो शील लगी हुई है वह किस मार्का कि थी और उस पर क्या लिखा हुआ था मुझे नहीं पता। प्रदर्श पी01 पर जो शील मुहर थी उन शीलों की अलग से फर्द जब्ती नहीं बनाई। सफेद कपडे की थैली लेकिन किस किस्म का कपडा था मुझे नहीं पता।

11. गवाह पीडब्ल्यू 02 राकेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 25.09.18 को में पुलिस थाना खेतडीनगर में सिपाही के पद पर तैनात था। उस रोज थानाधिकारी किरण सिंह के साथ में, अमर सिंह सिपाही मय जीप सरकारी चालक यशपाल के प्रकरण संख्या 158/18 में अनुसंधान व नक्शा मौका कार्यवाही करने हेतु रवाना हुये थे। दीनबंधु मैरिज हॉल के पास इस प्रकरण में नक्शा मोका कार्यवाही करने के बाद तलाश मुलजिम हेतु रवाना होकर कस्बा खेतड़ी नगर, सुभाष मार्केट, माणोता कलां तलाश करते हुये समय दोपहर 3.00 बजे राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय माणोता कलां के पास नाकाबंदी आरंभ की गई। समय 3.15 पी एम पर माणोता की तरफ से काले रंग की बाईक पर एक व्यक्ति तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया जिसको रोकने का इशारा किया तो वह वाहन को मोडकर भागने लगा। उसको हमने घेराबंदी करके पकड़ा। थानाधिकारी ने उसे बाईक मोडकर भगाने के बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। थानाधिकारी ने उस व्यक्ति की तलाशी ली तो उसकी पहनी हुई काले रंग की जिस पेट के आगे दाहिनी जेब में

दो जिंदा कारतूस मिले। थानाधिकारी ने उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चुन्नीलाल पुत्र दाताराम गुर्जर, उम्र 19 साल निवासी दूधवा थाना खेतड़ी होना बताया। जिंदा कारतूस के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह को बुलाने के लिए अमरसिंह को भेजा गया जिसने बताया कि आस–पास कोई आबादी नहीं है इस कारण कोई मौतबिर नहीं आ पाया। थानाधिकारी ने मुझे व अमरसिंह को मौतबिर मामूर कर शख्स के कब्जे में मिले दोनों कारतूसों का निरीक्षण किया, कारतूस जिंदा थे व पीली धातु के थे। कारतूसों के उपर की तरफ बुलेट लगी हुई थी, नीचे पेंदे पर के एफ 32 एस एड डब्ल्यू एल लिखा हुआ था। बाइक यामाहा कंपनी की काले रंग की थी जिसके पीछे एच आर 35 ई 7927 की नंबर प्लेट लगी हुई थी तथा आगे मड गार्ड पर एच आर 35 ई 7924 लिखे हुये थे। इसके बारे में थानाधिकारी ने पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बाईक को बतौर वजह सबूत जब्त किया गया। जिंदा कारतूसों को एक सफेद रंग कटटे की थैली में डालकर शील मोहर किया। मुलजिम को गिरफ्तार किया। फर्द जब्ती जिंदा कारतूस प्रदर्श पी01. फर्द जब्ती बाईक प्रदर्श पी02. फर्द गिरफ्तारी मुलजिम प्रदर्श पी03 हैं जिन पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। आई ओ ने टिनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी04 मेरे सामने तैयार किया जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हें। फर्द जब्ती बाईक नंबर एच आर 35 इ 7927 की नंबर प्लेट प्रदर्श पी05 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। आई ओ ने मेरे बयान लिये।

दौराने जिरह गवाह ने अभियुक्त में कथन किया है कि यह कहना सही है कि मेरे सामने आई ओ ने किसी भी फर्द पर स्वतंत्र गवाह को मौतबिर नहीं बनाया। मौके से स्कूल थोड़ी दूर पर थी इस कारण मैं नहीं बता सकता कि उस समय स्कूल चालू थी या बंद थे। कारतूस को थाने की एस के सी मार्का की गोल मोहर शील लगाकर जब्त किया था। हमने शील मोहर को जब्त नहीं किया जो हमने उक्त कारतूस को जब्त करने के लिए बनाई थी। यह कहना सही है कि मेरे सामने आई ओ ने उक्त कारतूसों की ढेबरी को खोलकर नहीं देखा। अज खुद कहा कि जिस हालत में कारतूस मिले थे उसी हालत में जब्त

किये थे। यह कहना सही है कि कारतूस के बारे में आर्मोरर ही बता सकता है कि वह जिंदा हालत में है या नहीं। यह कहना सही है कि बरामदगी स्थल मांदरी से कॉपर जाने वाली मुख्य सड़क पर है। यह कहना सही है कि उक्त सड़क पर काफी लोगों का आवागमन रहता है। अज खुद कहा कि उस समय लोगों का अवागमन नहीं था। मुझे नहीं पता कि उक्त सड़क पर कितने गांव पड़ते हैं।

12. गवाह पीडब्ल्यू 03 चोाखराम ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 24.10.2018 को मैं पुलिस थाना खेतड़ी नगर में सिपाही के पद पर तैनात था। उस रोज मैंने शील्डशुदा पैकेट मार्क ए पुलिस थाना खेतड़ी नगर से प्राप्त कर पुलिस लाईन सीकर में आर्मोरर साहब के पास मय तहरीर के लेकर के गया था। आर्मोरर साहब ने निरीक्षण कर रिपोर्ट मुझे दे दी। रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। तहरीर प्रदर्श पी 07 है। मेरे संबंध में रवानगी व वापसी रोजनामचा की प्रति प्रदर्श पी 08 लगायत प्रदर्श पी 09 है।

दौराने जिरह गवाह ने अभियुक्त में कथन किया है कि मैं थाने से सुबह 10.53 पर रवाना हुआ था व करीब 12.45 पर आर्मोरर साहब के ऑफिस पहुच गया था। दोपहर 01 बजे निरीक्षण किया गया था। शील्डशुदा पैकेट किस प्रकार के धागे से बंधा हुआ था मुझे नहीं याद।

13. गवाह पीडब्ल्यू 04 सुरेन्द्र ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 23.05.2018 में मेरे नाम से एक मोटरसाईकिल नंबर एचआर 35 ई 7924 थी। मैंने उक्त दिनांक को यह बाईक विक्रम निवासी नांगलचौधरी को बेच दी थी। पुलिस ने मुझे धारा 133 एमवीएक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 10 दिया था जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है व सी से डी मेरा जवाब अंकित है। बेचाननामा का शपथ पत्र प्रदर्श पी 11 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त गवाह की जिरह शून्य रही।

14. गवाह पीडब्ल्यू 05 विकास ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैंने एक मोटरसाईकिल विक्रम से खरीदी थी। जिसके नंबर एच आर 35 ई 7924 थे। तीन चार साल पहले की बात है कितने रूपये में बाईक खरीदी थी ध्यान नहीं है। बाईक की लिखा पढ़ी विक्रम के गांव में हुई थी। इस मोटरसाईकिल को चुन्नीलाल ने मेरे से लेकर के गया था। उस दिन मैं घर पर नहीं था। उसने मेरे मां से यह बाईक लेकर गया था। करीब तीन चार साल पहले की बात है उसने कहा कि ससुराल लेकर जा रहा हूं। मेरी बाईक के आगे पीछे नंबर लिखे हुए थे। मैंने अपनी बाईक की नंबर प्लेट नहीं बदली थी। बल्कि चुन्नीलाल ने बदल दी थी।

दौराने जिरह गवाह ने अभियुक्त में कथन किया है कि विक्रम मेरा दोस्त नहीं है। मैंने पुलिस को मोटरसाईकिल के बेचान संबंधित दस्तावेज पुलिस को दे दिये थे पुलिस ने पत्रावली में लगाये या नहीं मुझे नहीं पता। तारीख, समय मुझे ध्यान नही है कि चुन्नीलाल बाईक कब व किस तारीख को लेकर के गया था। मैं वाहन का आरसी ऑनर नहीं हूं।

15. गवाह पीडब्ल्यू 06 राजेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 19.11.2018 को मैं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय झुंझुनू में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यतर था। उस रोज डीएम साहब ने मेरे समक्ष मुकदमा नंबर 159/18 थाना खेतडी नगर में अभियोजन स्वीकृति जारी की थी जो प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी डी एम साहब के हस्ताक्षर है जिन्हें मैं अधीनस्थ कर्मचारी होने की हैसियत से पहचानता हूं।

दौराने जिरह गवाह ने अभियुक्त में कथन किया है कि आर्मोरर की रिपोर्ट को देखकर के डी एम साहब हस्ताक्षर करते हैं। यह कहना सही है कि मेरे सामने आर्म्स को देखा नही गया इस कारण मैं नहीं बता सकता कि आर्म्स किस हालत में था, किस प्रकार का था। यह कहना सही है कि मेरे सामने कोई कार्यवाही नहीं की गई।

16. गवाह पीडब्ल्यू 07 महेंद्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 25.09.2018 को मैं पी एस खेतड़ी पर मालखाना इंचार्ज के पद पर तैनात था। उस रोज मुझे थानाधिकारी किरण सिंह ने एफ आई आर 159/18 में जब्तशुदा एक शील्डशुदा सफेद कपडे की थैली में जिस पर मार्क ए अंकित था, मालखाना में जमा कराया था। दिनांक 26.09.18 को एक नंबर प्लेट नंबर एच आर 35 ई 7927 को थानाधिकारी ने मालखाना में जमा करवाया था। असल मालखाना प्रदर्श पी 12 है, मालखाना की प्रति प्रदर्श पी 12ए है।

दौराने जिरह गवाह ने अभियुक्त में कथन किया है कि शील्डशुदा सफेद कपडे की थैली में दो जिंदा कारतूस थे। इन कारतूसों को मैंने नहीं देखा था। शील्डशुदा सफेद कपडे की थैली पर जिंदा कारतूस लिखा हुआ था। उक्त थैली पर किसके नाम की मोहर थी आज मुझे ध्यान नहीं। उक्त थैली पर मोहर चिट के उपर लगी हुई थी, चिट उक्त थैली के उपर लगी हुई थी। यह कहना सही है कि नंबर प्लेट को शील्ड मोहर नहीं किया गया था। मालखाना में माल जब्त कर कब दिया गया था मुझे आज समय याद नहीं। यह कहना सही है कि मालखाना में जो माल जमा किया वो आज मेरे सामने न्यायालय में नहीं है।

17. गवाह पीडब्ल्यू 08 सरदारसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 24.10.2018 को मैं पुलिस लाईन सीकर में आर्मोरर के पद पर तैनात था। उस रोज चोखाराम सिपाही पुलिस थाना खेतड़ीनगर ने मेरे समक्ष एक सिलबंद पैकेट मुकदमा नंबर 159/2018 पुलिस थाना खेतड़ीनगर का पेश किया। पैकेट को खोलकर चैक किया तो पैकेट में दो जिंदा कारतूस मिले, जिनका मैंने निरीक्षण किया कि तो दोनों जिंदा कारतूस 0.32 इंच बोर थे जो आर्म्स की श्रेणी में आते हैं। बाद निरीक्षण दोनों कारतूस उसी पैकेट में डालकर अपनी सिल से सिल मोहर कर मेरी मुआयना रिपोर्ट व सिलबंद पैकेट चौखाराम सिपाही को संभलाया। मेरी मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 है। जिस पर ए से बी चोखाराम के हस्ताक्षर है व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है और एक्स स्थान पर तीन जगह पर नमुना सिल अंकित है।

दौराने जिरह गवाह ने अभियुक्त में कथन किया है कि मैंने दिनांक 24.10.2018 को दो जिंदा कारतूस का निरीक्षण किया था। चौखाराम पैकेट के साथ मेरे साथ दिनांक 24.10.2018 को 8.00 पीएम पर पहुचा बाद में गवाह ने कहा 01.00 पीएम पर पहुचा था। यह कहना सही है कि मैंने दोनों जिंदा कारतूस का निरीक्षण करने में एक डेढ घंटा लगाया था लेकिन मैंने वो समय मैंने अपने बयानों प्रदर्श पी 06 में नहीं लिखा। जिंदा कारतूसों को सफेद कपड़े की थैली में सिलबंद करके लेकर गये थे। मैंने निरीक्षण किया तब नमूना थैली पर कारतूसों का कोई वजन नहीं लिखा था। यह सही है कि मैंने उन कारतूसों को चलकार नहीं देखा था लेकिन मैंने कारतूसों को देखा व छुआ था उसके बाद रिपोर्ट तैयार की थी। वो कारतूस कंपनी के थे, जिस कारण मैं कह सकता हूं कि वो चालू हालत में थे। जो कंपनी से निर्मित कारतूस होते हैं, वो सभी चालू हालत में होते हैं।

18. गवाह पीडब्ल्यू 09 किरण सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 25.09.18 को मैं पुलिस थाना खेतडीनगर में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस रोज मुकदमा नंबर 158/18 की जांच हेतु थाने से मैं, सिपाही अमरसिंह, सिपाही राकेश कुमार मय वाहन सरकारी चालक यशपाल के रवाना हुये थे। थाने से रवाना होकर घटनास्थल दीनबंधू मैरिज हॉल कस्बा खेतडी नगर पहुंचा जहां मुकदमा हाजा की तकमील तफ्तीश की गई तथा नक्शा मौका कार्यवाही की गई। वहां से रवाना होकर तलाश मुलजिम कर रहा था कि सुभाष मार्केट माणोता कलां करता हुआ समय 3.00 पीएम पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मानोता कलां के सामने पहुंचकर नाकाबंदी कर रहा था कि समय 3.15 पीएम पर एक व्यक्ति मानोता कलां की तरफ से बाईक पर आता हुआ दिखाई दिया जो बावर्दी पुलिस को देखकर बाईक को वापस घुमाकर भागने का प्रयास करने लगा, उसी समय मन थानाधिकारी ने हमराही जाप्ते की मदद से बाईक चालक व बाईक को पकड़ लिया। बाईक चालक को नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम चुन्नीलाल गुर्जर निवासी दूधवा होना बताया। शख्स चुन्नीलाल द्वारा अपने–आप को पुलिस को देखकर बाईक को वापस भगाने का करण पूछा

गया तो शकपकाता हुआ अलग–अलग बातें करने लगा। चुन्नीलाल पर शक होने के कारण मन थानाधिकारी ने उसकी तलाशी लेने हेतु दो स्वतंत्र गवाह लेने हेतु सिपाही अमरसिंह को रवाना किया गया। सिपाही अमरसिंह ने कुछ समय बाद वापस आकर बताया कि कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला तब मैंने हमराही जाप्ते में से अमरसिंह व राकेश को गवाह बनाया तथा शख्स चुन्नीलाल की तलाशी ली गई तो चुन्नीलाल की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब से दो जिंदा कारतूस मिले जिनका अवलोकन किया गया तो दोनों कारतूसों में आगे बुलेट था तथा पीले रंग के थे तथा पीछे पेंदे पर 32 के.एफ लिखा हुआ था। शख्स चुन्नीलाल द्वारा अपने कब्जे में दो जिंदा कारतूस रखने बाबत लाईसेंस के बारे में पूछा तो उसने अपने पास कोई लाईसेंस होना नहीं बताया। चुन्नीलाल के कब्जे में मिले दोनों जिंदा कारतूसों को धारा 3/25 आयुध अधिनियम जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर शील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया गया। फर्द जप्ती जिंदा कारतूस प्रदर्श पी01 है, जिस पर ई से एफ मुलजिम के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर हैं। मुलजिम चुन्नीलाल के कब्जे से मिली बाईक यामाहा बरंग काला नंबर एचआर 35 ई 7927 की नंबर प्लेट लगी हुई थी तथा आगे मडगार्ड पर एचआर 35 ई 7924 लिखा हुआ था। बाईक पर भिन्न–भिन्न नंबर प्लेट होने के कारण बाईक को जरिये फर्द प्रदर्श पी02 है जिस पर ई से एफ मुलजिम के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर हैं। मुलजिम चुन्नीलाल को अपराध धारा 3ध्25 आर्म्स एक्ट व धारा 465 भा दं सं के अंतर्गत जरिये फर्द प्रदर्श पी03 गिरफ्तार किया गया जिस पर ई से एफ मुलजिम के व जी से एच मेरे हस्ताक्षर है। मौके पर जब्तशुदा कारतूस, बाईक व गिरफ्तारशुदा मुलजिम चुन्नीलाल के रवाना होकर वापसे थाने पर आया। जब्तशुदा कारतूस को जमा मालखाना कराया गया तथा बाईक को थाना परिसर में खडा किया गया। मुलजिम को बंद हवालात किया गया तथा वापसी थाने पर मुकदमा नंबर 159/18 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व 465 भादस में दर्ज किया गया। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। रोजनामचा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 08, पी 09, प्रदर्श पी 14 है जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण का

अनुसंधान श्री सूबेसिंह एएसआई को सुपुर्द किया गया। सूबेसिंह के अनुसंधान के पश्चात मैंने मुलजिम चुन्नीलाल के विरुद्ध जुर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 465, 420 भादस में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया।

दौराने जिरह गवाह ने अभियुक्त में कथन किया है कि मैंने वापस थाने पर आकर रोजनामचे में रपट डाली थी, उस पर एफआईआर दर्ज हुई थी। मैंने एक बाईक भी जप्त की थी। बाईक की जप्ती की वीडियो रिकॉडिंग नहीं बनाई। बाईक की नंबर प्लेट मैंने जब्त नहीं की बल्कि अनुसंधान अधिकारी सूबेसिंह ने जप्त की थी। मैंने बाईक नंबर प्लेट सहित जब्त की थी। बाईक की नंबर प्लेट पर जो नंबर थे व मडगार्ड की नंबर प्लेट पर जो नंबर थे वो भिन्न–भिन्न थे। बाईक के पीछे नंबर प्लेट सही स्थान पर लगी हुई थी, जिस पर नबर सही थे। जहां पर बाईक जप्त की वह आबादी क्षेत्र नहीं था बल्कि आम रास्ता था थोड़ी दूरी पर सरकारी स्कूल थी। मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था, इसलिए किसी को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी12ए में जब्तशुदा कारतूस आर्मोरर को कब भेजे व कब वापस मालखाना में जमा हुए, उसका अंकन नहीं है।

19. गवाह पीडब्ल्यू 10 सूबेसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 25.09.18 को मैं पीएस खेतडीनगर में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस रोज एफआईआर नंबर 159/18 थाना खेतडीनगर की अनुसंधान पत्रावली मय फर्द जप्ती दो अवैध जिंदा कारतूस, फर्द जप्ती बाईक यामाहा, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम चुन्नीलाल के मुझे प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान मैंने गवाह किरण सिंह एसआई, राकेश कुमार, अमरसिंह, विक्रम, विकास, सुरेंद्र के बयान उनके कहे अनुसार लिये थे। मैंने घटनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी04 जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं। मैंने बाईक यामाहा नंबर एचआर 35 ई 7927 की नंबर प्लेट जरिये फर्द प्रदर्श पी05 जप्त की थी, जिस पर ई से एफ मेरे व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। उक्त नंबरी बाईक के रजिस्टर्ड मालिक सुरेंद्र को मैंने धारा 133 एमवीएक्ट का नोटिस प्रदर्श पी10 दिया था,

जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर हैं, ए से बी सुरेंद्र के हस्ताक्षर हैं एवं सी से डी उसका जवाब अंकित है। सुरेंद्र द्वारा पेश शपथ पत्र प्रदर्श पी11 को शामिल पत्रावली किया। मैंने उक्त नंबरी बाईक के शपथ पत्र द्वारा वाहन स्वामी विक्रम को धारा 133 एमवीएक्ट का नोटिस प्रदर्श पी16 दिया था जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं, सी से डी विक्रम के हस्ताक्षर हैं एवं ई से एफ उसका जवाब अंकित है। मैंने आर्मोरर रिपोर्ट प्रदर्श पी06 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी12ए है। अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी12 है। बाद अनुसंधान मैंने अभियुक्त चुन्नीलाल के विरूद्ध 465, 420 भादंसं व 3ध्25 आयुध अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानते हुये पत्रावली थानाधिकारी किरण सिंह को सुपुर्द की जिन्होंने आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया।

दौराने जिरह गवाह ने अभियुक्त में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि घटनास्थल आबादी क्षेत्र हो। घटनास्थल के आस–पास क्वार्टर बने हुये नहीं है। यह कहना सही है कि घटनास्थल के पास स्कूल है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 04 पर मैंने किसी भी स्वतंत्र गवाह को मौतबिर नहीं बनाया। मैं घटनास्थल पर फर्द जप्ती के दूसरे दिन ही चला गया था। यह कहना सही है कि धारा 133 एमवीएक्ट के नोटिस में मालिक के जवाब में यह नहीं आया कि उक्त वाहन घटना के समय चुन्नीलाल चला रहा था। यह कहना सही है कि मैंने बरामदगी स्थल की तस्दीक नहीं कराई। मालखाना रजिस्टर में आर्टिकल को निकालने व जमा करवाने की तारीख अंकित नहीं है।

20. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की आई साक्ष्य का अवलोकन करे तो अभियुक्त के कब्जे से दो जिंदा कारतूस बरामद होना कथित किया है, इस संबंध में पीडब्ल्यू 01 अमरसिंह, पीडब्ल्यू 02 राकेश, पीडब्ल्यू 09 किरण सिंह बरामदगी के एवं प्रत्यक्षदर्शी गवाह है जिन्होंने एक स्वर में स्पष्ट कथन किया है कि उनके द्वारा सरकारी जीप में घटनास्थल पहुंचने पर घेराबंदी देखकर अभियुक्त को रूकवाया तथा उसके कब्जे से दो जिंदा कारतूस बिना लाइसेंस के बरामद किए एवं शील्डमोहर किए गए तथा एक बाईक जब्त की गई। उपरोक्त गवाह ने

स्पष्ट कथन किया है कि अभियुक्त के कब्जेसे कारतूसों को जप्त किया गया था। उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा के विपरीत कथन नहीं किए हैं।

यद्यपि अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि मौके पर स्वतंत्र गवाह नहीं बनाए गए तो इस संबंध में न्यायालय का मत है कि उपरोक्त गवाह की साक्ष्य में कोई दुर्बलता नहीं है तथा मौके पर स्वतंत्र गवाह नहीं बनाने से बरामदगी संदेहास्पद नहीं हो जाती। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत रिजवान खान बनाम छत्तीसगढ़ राज. AIR 2020 S.C. 4297 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उल्लेखित किया है कि स्वतंत्र साक्षी के अभाव में बदामदगी संदेहास्पद नहीं हो जाती।

इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू 03 चौखाराम द्वारा उपरोक्त शील्डशुदा पैकेट को मार्क ए आर्मोरर के पास निरीक्षण के लिए ले जाना कथन किया है एवं पीडब्ल्यू 08 सरदारसिंह द्वारा उपरोक्त शीलबंद पैकेट को खोलना तथा दो जिंदा कारतूस मिलना कथन किया है जिसका स्वयं के द्वारा निरीक्षण करना एवं उपरोक्त कारतूस 0.32 इंच बोर का होना व आर्म्स की श्रेणी में आना कथन किया है तथा बाद मुआयना रिपोर्ट एवं सिलबंद पैकेट चौखाराम सिपाही को संभलाया जाना कथन किया है तथा पीडब्ल्यू 09 किरण सिंह द्वारा बाद बरामदगी उपरोक्त शील्डशुदा कारतूस मालखाना में जमा कराना कथन किया है।

इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू 06 राजेश कुमार द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 12 पर डीएम साहब के हस्ताक्षर होने की पहचान की है तथा उपरोक्त अभियोजन स्वीकृति भौतिक सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना तथा अपनी मनन संतुष्टि एवं विवेक के आधार पर अभियोजन स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू द्वारा जारी किया जाना उल्लेखित किया है। तथा माल वजय सबूत भी डीएम को प्रस्तुत करना अभियोजन स्वीकृति से प्रकट है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि डी एम साहब द्वारा अपना माइंड अप्लाई नहीं किया।

अतः अभियुक्त का न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यू 09 किरण सिंह द्वारा बरामदगी के तथ्यों की संपुष्टि करते हुए अभियुक्त के कब्जे से दो जिंदा कारतूस बरामद होना कथन किया है तथा शील मोहर करना कथन किया है तथा अभियुक्त के कब्जे से बाईक यामाहा बरंग काला जब्त करना कथन किया है, जिसकी नंबर प्लेट भिन्न–भिन्न होना कथन किया है तथा मौके पर अभियुक्त को गिरफ्तार करना कथन किया है तथा जब्तशुदा कारतूस, बाईक एवं अभियुक्त को लेकर थाने पर आना तथा जब्तशुदा कारतूस को जमा मालखाना कराना कथन किया है तथा प्रकरण का अनुसंधान सूबेसिंह एएसआई को सुपुर्द करना कथन किया है। यद्यपि उपरोक्त गवाह द्वारा बाईक की नंबर प्लेट स्वयं के द्वारा जब्त नहीं करना कथन किया है।

इस प्रकार से उपरोक्त गवाह की ताईद से यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त के कब्जे से दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। जहां तक अभियुक्त से भिन्न–भिन्न नंबर प्लेट से बाईक का परिवहन करने का प्रश्न है तो इस संबंध में अभियोजन पक्ष का कथन है कि अभियुक्त की जब्तशुदा बाईक पर एचआर35ई7924 व एचआर35ई7927 नंबर की भिन्न–भिन्न नंबर प्लेट लगी हुई है।

इस संबंध में पीडब्ल्यू 04 सुरेन्द्र द्वारा उपरोक्त मोटरसाईकिल एचआर35ई7924 विक्रम को बेचान करना कथन किया है। पीडब्ल्यू 05 विकास द्वारा उपरोक्त बाईक विक्रम से खरीद करना कथन किया है तथा उपरोक्त बाईक को अभियुक्त द्वारा लेकर जाना कथन किया है।

चूंकि उपरोक्त जब्तशुदा बाईक की नंबर प्लेट भिन्न–भिन्न थी, ऐसी कोई नंबर प्लेट न्यायालय में पेश की गई हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। उपरोक्त बाईक की नंबर प्लेट किस ने परिवर्तित की, ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है। उपरोक्त वाहन का दो–तीन जगह बेचान होना प्रकट है। इसलिए उक्त जब्तशुदा बाईक पर गलत नंबर प्लेट किसने लगाई ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है। गलत नंबर प्लेट के वाहन को उपयोग करना कूटरचना की श्रेणी में आता हो अथवा अभियुक्त ने

गलत नंबर प्लेट होना जानते हुए वाहन का उपयोग किया हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है।

यद्यपि अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि नंबर प्लेट जप्त नहीं की गई थी जबकि पीडब्ल्यू 10 सूबेसिंह द्वारा अपनी साक्ष्य में नंबर प्लेट जरिए फर्द प्रदर्श पी 05 जब्त करना कथन किया है। चूंकि अभियोजन पक्ष को यह तथ्य साबित करना था कि प्रश्नगत नंबर प्लेट के बाबत कूटरचना अभियुक्त द्वारा ही की गई थी जबकि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त जब्तशुदा वाहन का मालिक है। उसी के द्वारा कूटरचना की हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है। लिहाजा धारा 465 भादस का अपराध संदेह से परे साबित नहीं है। नंबर प्लेट पर मात्र एक अंतिम अंक ही 7 के स्थान पर 4 है, बाकी सारे नंबर सही है। यदि अभियुक्त की अगर कूटरचना करने का आशय होता तो वह सारे नंबरों की कूटरचना करता।

इसके अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 10 सूबेसिंह द्वारा प्रकरण का अनुसंधान करना, गवाह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध करना, घटनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका मुर्तिब करना, वाहन की नंबर प्लेट एचआर35ई7927 को जब्त करना कथन किया है। वाहन मालिक को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस देना, आर्मोरर रिपोर्ट शामिल पत्रावली करना, अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना, अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मानते हुए पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द करना कथन किया है। उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन नहीं किया है जो कि उसकी मुख्य परीक्षा के विपरीत हो।

चूंकि अभियुक्त के कब्जे से दो जिंदा कारतूस बरामद होने के तथ्य की पूर्ण रूप से ताईद हुई है। यद्यपि नंबर प्लेट की कूटरचना के बाबत अभियोजन पक्ष द्व ारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि उपरोक्त कूटरचना अभियुक्त द्वारा ही की गई हो।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त के कब्जे से दो जिंदा

कारतूस बरामद हुए, जिन्हें कब्जे में रखकर परिवहन करने का कोई वैध लाईसेंस अभियुक्त के पास नहीं था। लिहाजा अभियुक्त चुन्नीलाल को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाना तथा धारा 465 भादस के अपराध में अभियुक्त चुन्नीलाल को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है

–:: आदेश ::–

21. परिणामतः अभियुक्त चुन्नीलाल पुत्र दाताराम उम्र 19 साल निवासी दूधवा थाना खेतड़ी जिला झुंझुनू राज. को अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोप में **दोषसिद्ध** व 465 भादस के आरोप में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेतडी, जिला झुन्झुनूं

–: सजा के बिन्दु पर :–

22. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सजा के बिन्दू पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त छः वर्ष से अन्वीक्षारत रहा है। परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तथा वर्तमान में प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। पूर्व दोषसिद्ध का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

23. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुये अभियुक्त को विधिनुसार कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

26. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का दण्ड के प्रश्न पर पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

24. अभियुक्त के कब्जे से दो जिंदा कारतूस बरामद हुए है, अन्य कोई वैध हथियार अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुए हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। बरवक्त घटना अभियुक्त 19 वर्ष का नवयुवक व्यक्ति है तथा इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **जतन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1995 सुप्रीम (राज.) 117 निर्णय दिनांक 16.02.1995** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्व ारा यह उपबंधित किया गया है कि न्यूनतम सजा प्रोबेशन से मना करने का आधार नहीं है तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराधी का अच्छा आचरण, उसकी आयु, चरित्र के आपराधिक रिकॉर्ड व अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रोबेशन दिया जा सकता है। लिहाजा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में यह प्रकट है कि अभियुक्त से मात्र दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उपरोक्त कारतूस किसी आपराधिक गतिविधियों में उपयोग में लिए जाने वाले हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। पूर्व में कोई दोषसिद्धि हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं है तथा अभियुक्त नवयुवक व्यक्ति है। लिहाजा उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को सीधे ही कारावास के दण्ड से दंडित नहीं किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाना तथा धारा 5 के अंतर्गत अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:: <u>दण्डादेश</u> ::–

25. एतद्द्वारा अभियुक्त चुन्नीलाल पुत्र दाताराम उम्र 19 साल निवासी दूधवा थाना खेतड़ी जिला झुंझुनू राज. को आरोपित अपराध धारा **3/25 आयुध अधिनियम** के तहत की गई दोषसिद्धि के लिये तुरन्त कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाता है कि यदि अभियुक्तगण 10,000–10,000/–रूपये (मात्र दस–दस हजार रूपए) की जमानतें एवं इसी कदर राषि के स्वयं के मुचलके एक वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के साथ पेश कर तस्दीक करवा देवे कि वे

उक्त अवधि में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, शान्ति एवं सद्व्यवहार बनाए रखेगे तथा न्यायालय द्वारा आहुत करने पर उपस्थित होकर सजा भुगतने के लिए तैयार रहेगे तो उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम,1958 का लाभ दिया जाकर सद्व्यवहार की परिवीक्षा पर छोड़ा जावे, साथ ही अभियुक्त पर धारा 5 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम,1958 के तहत राशि **2000**/–रूपये **(अंकेही कुल दो हजार रूपये मात्र)** बतौर अभियोजन व्यय अधिरोपित किये जाते हैं। धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त दोषसिद्धि अभियुक्त को किसी प्रकार से निर्योग्यता कारित नहीं करेगी। प्रकरण में बाद गुजरने मियाद अपील प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत हो कारतूस का नियमानुसार निस्तार किया जावे व जब्तशुदा नंबर प्लेट नष्ट की जावे। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर है जो सुपुदर्गीदार के पास रहे।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेतडी जिला झुंझुनूं

26. निर्णय आज दिनांक **28 मार्च, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेतडी, जिला झुन्झुनूं